

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—32/2023 (2023/84) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अम्बालाल पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोमा पुत्र हेमा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डुंगा पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नेनु पुत्र हीरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बख्तावर पुत्र श्रीराम कुमावत मृतक के बजाय
- 5/1. मोतीलाल पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/2. नारायण पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/3. मदनलाल पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पुत्र नंगजी कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामचन्द्र पुत्र लालु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकर पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेनुराम पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घीसा पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दयाराम पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पन्नालाल पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हरलाल पुत्र घीसा तेली निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पन्नालाल पुत्र अम्बालाल कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्यामलाल पुत्र बरदु कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उदयराम पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अमरा पुत्र श्रीराम कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. घीसी पुत्री अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोहनी पत्नि अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सायरी पुत्री अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मगनी पत्नि गोमा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. हीरी पत्नि नेनु कुमावत निवासी बोराणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मंसुरी -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3796 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3797 रकबा 0.27 है0 गै.मु. सड़क, आराजी संख्या 3798 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 3799 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3800 रकबा 1.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.22 है0 भूमि




राजस्व खाता संख्या 904 पर दर्ज हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 02.01.2023 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 20.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 8, 10, 11, 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 13, 14 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नही जाहिर की है एवं विपक्षी संख्या 9 फोत हो जाने से प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 15 फोरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3796 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3797 रकबा 0.27 है0 गै.मु. सड़क, आराजी संख्या 3798 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 3799 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3800 रकबा 1.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.22 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 904 पर दर्ज हैं। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा ठीपा)

उपखण्ड अधिवक्ता

रायपुर जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—32/2023 (2023/84) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अम्बालाल पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोमा पुत्र हेमा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डुंगा पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नेनु पुत्र हीरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बख्तावर पुत्र श्रीराम कुमावत मृतक के बजाय
- 5/1. मोतीलाल पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/2. नारायण पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/3. मदनलाल पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पुत्र नंगजी कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामचन्द्र पुत्र लालु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शंकर पुत्र अमरु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेनुराम पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घीसा पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दयाराम पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पन्नालाल पुत्र हजारी कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हरलाल पुत्र घीसा तेली निवासी बोरणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पन्नालाल पुत्र अम्बालाल कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्यामलाल पुत्र बरदु कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उदयराम पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अमरा पुत्र श्रीराम कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. घीसी पुत्री अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोहनी पत्नि अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सायरी पुत्री अमरा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मगनी पत्नि गोमा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. हीरी पत्नि नेनु कुमावत निवासी बोरणाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत



उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 16.05.2023 को रवीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3796 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3797 रकबा 0.27 है0 गै.मु. सड़क, आराजी संख्या 3798 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 3799 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3800 रकबा 1.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.22 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 904 पर दर्ज हैं।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सिद्धि छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
सहयक कलेक्टर  
रायपुर (भीलवाड़ा)